

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी-श्री गिराज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र०स० 62/19 ता० रजु. 18-9-19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 24-9-19

सरकार

बनाम

एकमात पुत्र बतवीर जाति जाट नि० अंडली गडासिया

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का अंडली गडासिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम अंडली गडासिया के खसरा न० 1721 रकवा 3.20 हैक्ट में से रकवा 0.20 हैक्ट किस्म भूमि चारसाह पर सम्वत 2076 में श्री एकमात पुत्र बतवीर जाति जाट नि० अंडली गडासिया तह० बयाना ने अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित / अनुपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय चारसाह भूमि पर विधि विरुद्ध अतिक्रमण किया जाना साबित होता है अतः अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 1721 रकवा 0.20 हैक्ट वाके ग्राम अंडली गडासिया से बेदखल किया जाता है। लगान 3.20 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 160/- रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 24-09-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली का मांग सामग्री
वा. बे. सं. 04 के पंज नं. 1.0
दिनांक 11/9/18 को वर्ष 2018-20
पैनल्टी रु. 160 फसल नीलामी
को जा चुको है।

तहसील राजस्व नैलाका
तहसील बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)